पत्रांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/993

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (का.का.) विभाग

–:: संकल्प ::–

दिनांक 16 नवम्बर, 2009

अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या 28 दिनांक 25.01.2008 द्वारा की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण प्रखंड स्तरीय समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अन्य व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

2. प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे

क्र.	नाम	पदनाम
1)	मुख्यमंत्री द्वारा नामित	अध्यक्ष
2)	मुख्य मंत्री द्वारा नामित	उपाध्यक्ष
3)	प्रखंड के लोक सभा के सदस्य	सदस्य
4)	प्रखंड के राज्य सभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो	सदस्य
5)	प्रखंड के विधान सभा के सदस्य	सदस्य
6)	प्रखंड से विधान परिषद के ऐसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो	सदस्य
7)	पंचायत समिति के अध्यक्ष	सदस्य
8)	मुख्यमंत्री द्वारा नामित 15 सदस्य होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग के भी प्रतिनिधि होंगे	सदस्य
9)	अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक/तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखंड के सभी क्षेत्रीय/तकनीकी पदाधिकारी	सदस्य
10)	प्रखंड में कार्यरत् विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक	सदस्य
11)	अंचल अधिकारी	सदस्य
12)	प्रखंड विकास पदाधिकारी	सदस्य सचिव

3. प्रखण्ड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होगी। बैठक की सूचना सदस्य सचिव (प्रखंड विकास पदाधिकारी) अध्यक्ष की राय से एक सप्ताह पूर्व संसूचित करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समिति के सदस्य सचिव बैठक के उपरान्त बैठक की कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर सभी सदस्यों तथा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे। अगली बैठक में पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय पर अनुपालन प्रतिवेदन समिति के विचारार्थ रखा जाएगा। कार्यवाही की एक प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सचिव (जिला पदाधिकारी) को भेजी जाएगी।

4. समिति के कृत्य एवं दायित्व :

4.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा। (अनुलग्नक 'क' पर राज्य सरकार द्वारा चालू महत्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है।)

4.2 ग्रामीण रोजगार संबंधी बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा।

4.3 कृषि एवं कृषि पर आधारित योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) की प्रखंड स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा।

4.4 बिहार भू–जल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।

4.5 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल–पुलिया के निर्माण से संबंधित योजनाओ की समीक्षा।

4.6 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।

4.7 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।

4.8 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।

4.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।

4.10 बैंकों द्वारा विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित बड़ी–बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबार्ड की आर॰आई॰डी॰एफ॰ योजना भी सम्मिलित होगी।

4.11 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।

5. प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए संयुक्त रूप से एक कार्यालय कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जो उपलब्धता के आधार पर प्रखंड कार्यालय के मुख्य भवन में होगा। यदि प्रखंड कार्यालय भवन नहीं बना है तो उपलब्धता के आधार पर अन्य भवन में भी व्यवस्था की जा सकती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य में सहायता के लिए संयुक्त रूप में प्रखंड से उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा भी सदस्य सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी ; इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

6. प्रखंड में लागू सभी सरकारी कार्यक्रमों की सूचना समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को भी दी जाएगी। समिति के अन्य सदस्यों को क्षेत्र में लागू होने वाले कार्यक्रमों की सूचना संबंधित सदस्य को दी जाएगी।

7. प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के स्थल अध्ययन (यदि आवश्यक हो) हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए महीने में एक–एक दिन परिवहन की सुविधा एक सप्ताह पूर्व प्राप्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अधियाचनानुसार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

8. बैठक में भाग लेने के लिए गैर–सरकारी सदस्यों, गैर–सांसद एवं गैर विधान मंडल सदस्यों/उपाध्यक्षों/अध्यक्षों को दैनिक भत्ता के रूप में 100/– (एक सौ रुपये) तथा यात्रा–भत्ता रु॰ 25/–(पच्चीस रुपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा-भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

9. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में रू0 200/ (दो सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/ 16/XI
(राम उदगार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/993 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 16/XI
(राम उदगार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/993 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि उप मुख्य मंत्री/सभी मंत्री/राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, राज्यस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/ 16/XI
(राम उदगार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/993 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्षद/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 16/XI
(राम उदगार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/993 पटना, दिनांक 16 नवम्बर 2009

प्रतिलिपि सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 16/XI
(राम उदगार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/993 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/जिला के उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने जिला मुख्यालय में कार्यरत सभी विभागों के प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों एवं सभी अनुमंडलों/प्रखंडों में कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/समिति के सभी सदस्यों को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। इसी प्रकार आरक्षी अधीक्षक भी अपने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह०/- 16/XI

(राम उदगार महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– मं०स०का०का०(गठन) 01/2007/993 पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि– राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलम्ब इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

16/XI

(राम उदगार महतो)
सरकार के अवर सचिव

अनुलग्नक 'क'

कार्यक्रम कार्यान्वयन की दृष्टि से समीक्षा की जानेवाली योजनाओं की सांकेतिक सूची

1. मुख्यमंत्री अनु०जाति एवं अनु०जनजाति मेधा वृत्ति योजना
2. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना
3. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विधार्थी प्रोत्साहन योजना
4. मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना
5. मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना
6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
8. मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना 'पहचान'
9. मुख्यमंत्री निःशक्त जन शिक्षा ऋण योजना
10. मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार ऋण योजना
11. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
12. मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम
13. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
14. मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना
15. मुख्यमंत्री खेल विकास योजना
16. मुख्यमंत्री आवास योजना
17. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
18. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना
19. मुख्यमंत्री जिला विकास योजना
20. मुख्यमंत्री नगर (समेकित शहरी) विकास योजना
21. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना
22. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना
23. मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना
24. मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना
25. मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना
26. मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना
27. मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना
28. लोहिया स्वच्छता योजना
29. महादलितों के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाएँ
30. केन्द्र प्रायोजित योजनायें यथा, नरेगा, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, हरियाली योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) की योजनायें।